Toppersnotes
Unleash the topper in you

C-TET

सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

प्राथमिक स्तर

भाग – 4

पर्यावरण अध्ययन

SIERRA INNOVATIONS

CTET (प्राथमिक स्तर कक्षा 1– 5)

CONTENTS

पर्यावरण अध्ययन		
1.	परिवार	1
	• समाजिक बुराईयाँ	4
2.	वस्त्र एवं आवास	11
3.	व्यवसाय (लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तकलाएँ)	16
	• उपभोक्ता जागरूकता	24
4.	सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएँ	27
	• संसद	29
5.	हमारी सभ्यता एवं संस्कृति	40
	• राष्ट्रीय प्रतीक	40
	• राष्ट्रीय पर्व	41
6.	परिवहन एवं संचार	43
7.	अपने शरीर की देखभाल	53
	• सन्तुलित भोजन	61
	• शरीर के आन्तरिक भाग की जानकारी	63
8.	जीव एवं जगत	75
9.	जल	89
	• जल संरक्षण एवं संग्रहण	94
10.	पृथ्वी एवं अंतरिक्ष	96
	• भारत के अंतरिक्ष यात्री	100
11.	पर्वतारोहण	101
12.	खेल	108
इकाई – 1		
13.	पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना	115

इकाई – 2		
14.	संकल्पना, प्रस्तुतीकरण के उपागम, क्रियाकलाप/प्रायोगिक कार्य, चर्चा	123
16.	सतत् एवं समग्र मूल्यांकन	136
17.	शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण समस्याएँ	139
18.	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	143

पर्यावरण अध्ययन

परिवार

- Family शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के Famulas से हुई है, जिसका अर्थ नौकर या सेवक होता है।
- ऐसा समूह जिसमें माता–पिता, बच्चें व नौकर शामिल हो परिवार कहलाता है।
- परिवार एक लघुत्तम इकाई है। परिवार समाज की केन्द्रीय इकाई है।

परिभाषाएँ

- **मैकाइवर एवं पेज** – ''परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन–पोषण करते हुए स्थायी यौन संबंधों पर आधारित है।''
- **क्लेयर** – ''माता–पिता और उनके बच्चों के बीच पाये जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते है।''
- **लूसी मेयर** – ''परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता–पिता और उनकी संतान रहते हैं।''
- **मजूमदार** – ''परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं।''

परिवार की विशेषताएँ

1. विवाह एवं यौन संबंध
2. वंशनाम की व्यवस्था
3. दीर्घकालीन संबंध/समूह
4. सदस्यों का उत्तर दायित्व
5. भावात्मक आधार
6. सामाजिक नियंत्रण
7. प्रजनन
8. आर्थिक बंधन

परिवार का वर्गीकरण

संख्या के आधार पर

- **एकल परिवार**
- **संयुक्त परिवार**
- **विस्तृत परिवार**

1. एकल परिवार/केन्द्रीय परिवार/नाभिक परिवार – वह परिवार जिसमें माता–पिता व अविवाहित बच्चे रहते हो एकल परिवार कहलाता है।

विशेषताएँ

(i) परिवार का सबसे छोटा रूप है।
(ii) बच्चे की आत्म निर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास है।
(iii) बच्चों में एकांकीपन की भावना का विकास हो जाता है।
(iv) कम आय में भी परिवार का संचालन किया जा सकता है।

Toppersnotes Unleash the topper in you

एकल परिवार बनने के कारण –

(i) जनसंख्या में वृद्धि होना।
(ii) स्वतंत्र रहने की इच्छा।
(iii) सामाजिक बदलाव होना।
(iv) रोजगार या व्यवसाय के लिए प्रवजन।
(v) आर्थिक महत्व।
(vi) पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव।
(vii) गाँवों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन होना।

2. संयुक्त परिवार – वह परिवार जिसमें तीन या तीन से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हो, संयुक्त परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार में परिवार का मुखिया सबसे बुजुर्ग होता है। के. एम. कपाड़िया ने इसे भारत की आदि परम्परा कहा है।

विशेषताएँ –

(i) बड़ा आकार।
(ii) सामान्य आवास।
(iii) सम्पत्ति के विभाजन का बचाव।
(iv) तीन पीढ़ियाँ एक साथ।
(v) संस्कृति की रक्षा।
(vi) राष्ट्रीय एकता एवं सेवा का भाव।
(vii) सामाजिक सुरक्षा।

सम्पत्ति के अधिकार की दृष्टि से दो भागों में बाँटा गया है –

(i) मिताक्षरा – यह परिवार विज्ञानेश्वर ने दिया। जिसमें सम्पत्ति पर अधिकार जन्म से ही होता है। यह पूरे भारत में पाया जाता है।

(ii) दायभाग – यह केवल बंगाल व उड़िसा में पाया जाता है। जिसमें सम्पत्ति पर अधिकार मुखिया के मरने के बाद मिलता है।

अधिकार के आधार पर

पितृसत्तात्मक
- ऐसे परिवार जिसका मुखिया पुरुष हो।

मातृसत्तात्मक
- ऐसे परिवार जिसकी मुखिया वरिष्ठ महिला हो।

Toppersnotes Unleash the topper in you

स्थान के आधार पर

- मातृ व पितृ स्थानीय
- द्वि स्थानीय
- पितृ स्थानीय
- मातृ स्थानीय
- नव स्थानीय
- मातुल स्थानीय

वंश के आधार पर

- पितृवंशीय
  - जिसका वंश का नाम पिता के अनुसार चलता हो।
- मातृ वंशीय
  - जिसके वंश का नाम माता के अनुसार चलता हो।

विवाह के आधार पर

- एक विवाह परिवार
- बहु विवाही परिवार
  - बहु पत्नी fookgh परिवार
  - बहुपति विवाह परिवार

समरक्त परिवार

- ऐसे परिवार जिसमें एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह रहे समरक्त परिवार कहलाता है। ये परिवार मालाबार के नायनरों परिवारों में पाया जाता है।
- अहोम आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था।

सामाजिक बुराईयाँ

बाल-श्रम

बाल-श्रम का मतलब यह है कि जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है । इस प्रथा को कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संघठनों ने शोषित करने वाली प्रथा माना है । अतीत में बाल श्रम का कई प्रकार से उपयोग किया जाता था, लेकिन सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा के साथ औद्योगीकरण, काम करने की स्थिति में परिवर्तन तथा कामगारों श्रम अधिकार और बच्चों के अधिकार की अवधारणाओं के चलते इसमें जनविवाद प्रवेश कर गया । बाल श्रम अभी भी कुछ देशों में आम बात है ।

बच्चो के अधिकार

यह अनुचित या शोषित माना जाता है यदि निश्चित उम्र से कम मे कोई बच्चा घर के काम या स्कूल के काम को छोडकर कोई अन्य काम करता है, तो किसी भी नियोक्ता को एक निश्चित आयु से कम के बच्चे को किराए पर रखने की अनुमति नही है । न्यूनतम आयु देश पर निर्भर करता है कि किसी प्रतिष्ठान में बिना माता पिता की सहमति के न्यूनतम उम्र निर्धारित किया है ।

औद्योगिक क्रांति मे चार साल के कम उम्र के बच्चो को कई बार घातक और खतरनाक काम की स्थितियो के साथ उत्पादन वाले कारखाने मे कार्यरत थे। अंग्रेजी श्रमिक वर्ग का बनना (पेंगुइन), पीपी, अब अमीर देशो ने मजदूरी के रूप मे बच्चो के इस्तेमाल को समझा है और इस आधार पर इसे मानव अधिकार का उल्लंघन माना है और इसे गैरकानूनी घोषित किया है जबकि कुछ गरीब देशो ने इसे बर्दाश्त या अनुमति दी है ।

बहुत से गरीब परिवार अपने बच्चो के मजदूरी के सहारे हैं । कभी कभी ये ही उनके आय के स्रोत है । इस प्रकार का कार्य अक्सर दूर छिप कर होता है क्योंकि अक्सर ये कार्य औद्योगिक क्षेत्र मे नही होते है । बाल श्रम कृषि निर्वाह और शहरी के अनौपचारिक क्षेत्र मे कार्यरत है, बच्चो के घरेलू काम मे योगदान भी महत्वपूर्ण है । बच्चो को लाभ मुहैया कराने के लिए, बाल श्रम निषेध को दोनो अल्पावधि आय और दीर्घावधि संभावनाओ के साथ दोहरी चुनौती से निपटने के लिए काम करना है । कुछ युवाओ के अधिकार के समूहो यद्यपि, एक निश्चित आयु से नीचे के बच्चे को काम करने से रोक कर, बच्चो के विकल्प कम करने को मानव अधिकारो का उल्लंघन मानते है । ये महसूस करते है कि ऐसे बच्चे पैसे वालो के इच्छा के अधीन रहते है । बच्चे की सहमति या काम करने के कारण बहुत भिन्न हो सकते है ।

बाल मजदूरी के कारण

यूनीसेफ के अनुसार बच्चो का नियोजन इसलिए किया जाता है, क्योंकि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम जिन कारणो से करते हैं, उनमे आम तौर पर गरीबी फैली है । लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनो का लागू नही होना, बच्चो को स्कूल भेजने के प्रति अनिच्छक माता-पिता (वे अपने बच्चो को स्कूल की बजाय काम पर भेजने के इच्छुक होते हैं, ताकि परिवार की आय बढ सके) जैसे अन्य कारण भी है। और यदि एक परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र आधार ही बाल श्रम हो, तो कोई कर भी क्या सकता है ।

यदि हम बाल श्रम को सिर्फ मजदूरी कमाने वाले काम के रूप मे परिभाषित करे तो सरकारी अनुमान के अनुसार भारत मे बाल श्रमिको की संख्या 1 करोड 70 लाख है। स्वतंत्र रूप से किये गये अनुमान, जो मोटे तौर पर यही परिभाषा स्वीकार करते हैं, मानते है कि यह संख्या 4 करोड है । लेकिन यदि स्कूल से बाहर के सभी बच्चो को बाल श्रमिक माना जाये तो यह संख्या करीब 10 करोड होगी।

भारत मे बाल श्रम के खिलाफ राष्ट्रीय कानून

भारत का संविधान (26 जनवरी 1950) मौलिक अधिकारो और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत की विभिन्न धाराओ के माध्यम से कहता है-

- 14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान मे काम करने के लिए नियुक्त नही किया जायेगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन मे नियुक्त किया जायेगा (धारा 24)।
- राज्य अपनी नीतियाँ इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषो और महिलाओ का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके और बच्चो की कम उम्र का शोषण न हो तथा वे अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम मे आर्थिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए प्रवेश करे (धारा 39-ई)।
- बच्चो को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति मे विकास के अवसर तथा सुविधाएँ दी जायेंगी और बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जायेगा (धारा 39-एफ)।
- संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चो को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे (धारा 45)।

बाल श्रम एक ऐसा विषय है, जिस पर संघीय व राज्य सरकारें, दोनों कानून बना सकती है । दोनों स्तरों पर कई कानून बनाये भी गये हैं ।

स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है, नियोजन को निषिद्ध बनाता है । इन पेशाओ और प्रक्रियाओ का उल्लेख कानन की अनुसूची मे है ।

फैक्टरी कानून 1948 - यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है । 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्टरी में तभी नियुक्त किये जा सकते हैं, जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो । इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन साढे चार घंटे की कार्यावधि तय की गयी है और रात में उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है ।

बाल मजदूरी रोकने हेतु एम.वी.एफ मॉडल

एम.वी.एफ बुनियादी बातों से शुरू करता है । वह मानता है कि बाल श्रम से निपटने का एक मात्र रास्ता यह है कि पालकों के मन में शिक्षा के जरिये अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने की जो इच्छा है उसका उपयोग किया जाये । उसका विश्वास है कि किसी बच्चे व बच्ची को काम से हटाने और स्कूल मे प्रवेश दिलाने के किसी भी कार्यक्रम का शुरुआती कदम यह होना चाहिये कि समुदाय के भीतर यह भावना भर दी जाये कि किसी भी बच्चे को काम नही करना चाहिये । समुदाय से जूझने का मतलब सिर्फ पालको से निपटना नही है बल्कि इसका संबंध सभी प्रकार के लोगो से है, जिनमे नियुक्ता, मत बनाने वाले, स्थानीय निकायो के निर्वाचित प्रतिनिधि, समुदाय के बुजुर्ग, स्थानीय युवा, शिक्षक आदि भी आते हैं । इसमे समुदाय के इन सभी सदस्यो को बाल श्रम के मुद्दे के बारे मे संवेदनशील बनाया जाता है और यह बताया जाता है कि वे किस तरह बाल श्रम को बनाये रखने मे योगदान देते हैं । इसमे समुदाय को इस बात के प्रति भी संवेदनशील बनाया जाता है कि बाल श्रम खत्म होने से सिर्फ पालको या खुद बच्चो को ही फायदा नही होता बल्कि समुदाय को भी फायदा होता है ।

बाल विवाह

बाल विवाह का सम्बन्ध आमतौर पर भारत के कुछ समाजों मे प्रचलित सामाजिक प्रक्रियाओ से जोडा जाता है, जिसमें एक युवा लडकी (आमतौर पर 15 वर्ष से कम आयु की लडकी) का विवाह एक वयस्क पुरुष से किया जाता है । बाल विवाह की दूसरे प्रकार की प्रथा मे दो बच्चो (लडका एवं लडकी) के माता-पिता भविष्य मे होने वाला विवाह तय करते हैं। इस प्रथा मे दोनो व्यक्ति (लडका एवं लडकी) उनकी विवाह योग्य आयु होने तक नही मिलते, जबकि उनका विवाह सम्पन्न कराया जाता है । कानून के अनुसार, विवाह योग्य आयु पुरुषो के लिए 21 वर्ष एव महिलाओ के लिए 18 वर्ष है ।

यदि किसी का कोई भी साथी इससे कम आयु मे विवाह करता है, तो वह विवाह को अमान्य निरस्त घोषित करवा सकता/सकती है ।

विभिन्न राज्यों में अठारह (18) वर्ष से कम आयु मे विवाह

- आन्ध्र प्रदेश – 71 प्रतिशत
- बिहार – 67 प्रतिशत
- मध्य प्रदेश – 73 प्रतिशत
- राजस्थान – 68 प्रतिशत
- उत्तर प्रदेश – 64 प्रतिशत

बाल विवाह के कारण

- गरीबी ।
- लडकियों की शिक्षा का निचला स्तर ।
- लडकियों को कम रुतबा दिया जाना एवं उन्हें आर्थिक बोझ समझना ।
- सामाजिक प्रथाएँ एवं परम्पराएँ

बालविवाह के दुस्परिणाम

बालविवाह के केवल दुस्परिणाम ही होते है जिनमें सबसे घातक शिशु व माता की मृत्यु दर में वृद्धि शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पता है और वे अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन नहीं कर पाते हैं और इनसे एच.आई.वी. **(HIV)** जैसे यौन संक्रमित रोग होने का खतरा हमेशा बना रहता है ।

बाल विवाह – उन्मूलन हेतु सरकार व गैर सरकारी संस्थाओं की पहल ।

- बाल विवाह के विरुद्ध कानूनों का निर्माण ।
- लडकियो की शिक्षा को सुगम बनाना ।
- हानिकारक सामाजिक नियमों को बदलना ।
- सामुदायिक कार्यक्रमो को सहायता ।
- विदेशी सहायता अधिकतम करना ।
- युवा महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करना ।
- बाल बन्धुओं की विरले जरूरतों को पूरा करना ।
- कार्यक्रमों का आकलन कर देखना कि क्या बात असरदार होगी ।

सरकार की पहल

- बाल विवाह निरोधक कानून
- बाल विवाह प्रथा रोकने के प्रयास में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों ने कानून पारित किए हैं, जो प्रत्येक विवाह को वैध मानने के लिए उसका पंजीकरण आवश्यक बनाते हैं ।
- बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005ß के अनुसार (भारत के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रकाशित) 2010 तक बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

बाल विवाह को रोकने हेत उपाय

बालविवाह रोकने हेतु कुछ उपाय हो सकते हैं ।
जैसे-

1. समाज मे जागरूकता फैलाना ।
2. मीडिया इसे रोकने में प्रमुख भागीदारी निभा सकती हैं ।
3. शिक्षा का प्रसार ।
4. गरीबी का उन्मूलन ।
5. जहाँ मीडिया का प्रसार ना हो सके वह नुक्कड नाटको का आयोजन करना चाहिए ।

दहेज प्रथा

भारतीय समाज में अनेक प्रथाएँ प्रचलित हैं । पहले इस प्रथा के प्रचलन में भेंट स्वरूप बेटी को उसके विवाह पर उपहारस्वरूप कुछ दिया जाता था परन्तु आज दहेज प्रथा एक बुराई का रूप धारण करती जा रही है । दहेज के अभाव में योग्य कन्याएँ अयोग्य वरो को सौंप दी जाती है । लोग धन देकर लडकियों को खरीद लेते है । ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन सुखद नही बन पाता । गरीब परिवार के माता-पिता अपनी बेटियों का विवाह नही कर पाते क्योंकि समाज के दहेज-लोभी व्यक्ति उसी लडकी से विवाह करना पसंद करते हैं जो अधिक दहेज लेकर आती है ।

हमारे देश में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है, जो महिलाओ के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वे मानसिक हो या फिर शारीरिक, को बढावा देता है. इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है. अमीर और संपन्न परिवार जिस प्रथा का अनुसरण अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते हैं वही निर्धन अभिभावको के लिए बेटी के विवाह मे दहेज देना उनके लिए विवशता बन जाता है क्योंकि वे जानते हैं कि अगर दहेज ना दिया गया तो यह उनके मान-सम्मान को तो समाप्त करेगा ही साथ ही बेटी को बिना दहेज के विदा किया तो ससुराल मे उसका जीना कठिन/दूभर बन जाएगा । संपन्न परिवार बेटी के विवाह में किए गए व्यय को अपने लिए एक निवेश मानते हैं, उन्हे लगता है कि बहुमूल्य उपहारो के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह सीधा उनकी अपनी प्रतिष्ठा को बढायेगा और इसके अलावा उनकी बेटी को भी ससुराल मे सम्मान और प्रेम मिलेगा ।

देश में औसतन हर एक घंटे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती है और वर्ष 2007 से 2011 के बीच इस प्रकार के मामलों मे काफी वृद्धि देखी गई है । राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकडे बताते हैं कि विभिन्न राज्यो से वर्ष 2012 मे दहेज हत्या के 8,233 मामले सामने आए । आँकडो का औसत बताता है कि प्रत्येक घंटे में एक महिला दहेज की बलि चढ रही है ।

कानून

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है ।
- दहेज के लिए उत्पीडन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है ।
- धारा 406 के अन्तर्गत लडकी के पति और ससुराल वालो के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वे लडकी के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं ।
- यदि किसी लडकी के विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताडित किया जाता था, तो

भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के अन्तर्गत लडकी के पति और रिश्तेदारों को कम से कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है ।

चोरी

चोरी का तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति को उस व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति के बिना गैर कानूनी रूप से लेना है । इसे 'Crime Against Property' का संक्षिप्त रूप भी कहा जाता है । जो चोरी करता है, उसे चोर कहा जाता है । चोरी में बैंक डकैती, इंटरनेट के माध्यम से दूसरे के खाते में बिना अनुमति के धन निकालना, डाटा चोरी आदि सभी शामिल हैं ।

चोरी के तत्व

- अनाधिकृत रूप से किसी अन्य की सम्पत्ति ले लेना ।
- इसका उद्देश्य उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति से वंचित करना हो ।
- चोर के मन में सम्पत्ति चुराने की बेईमानी व बदनीयती हो । चोरी का मुख्य कारण गरीबी है । जब व्यक्ति के पास किसी चीज का अभाव हो और वह उसे प्राप्त करने में किसी भी तरह सक्षम न हो सके तो वह उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए चोरी करने को प्रेरित होता है, लेकिन कई बार धीरे-धीरे यह घटना उस व्यक्ति की आदत बन जाती है । तब वह आदतन चोरी करने का अपराध करने लगता है । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि वह गरीब हो तथा उसे वस्तु की सख्त आवश्यकता हो । वह महत आनन्द के लिए अथवा अधिकाधिक सम्पदा प्राप्त करने के लिए चोरी करने लगता है चोरी को रोकने हेतु भारतीय दंड संहिता के अधीन प्रावधान बनाए गए हैं ।
- चोरी भारतीय दण्ड संहिता के तहत एक दण्डनीय अपराध है । चोरी के कारण पीडित व्यक्ति को न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि मानसिक पीडा भी होती है । इसके कारण उसकी कडी मेहनत से जुटाई गई सम्पतियाँ चली जाती है । कई बार धन संपत्ति चोरी चले जाने के कारण आवश्यक कार्य जैसे विवाह आदि में भी अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो जाते हैं ।
- अनु. 23 – मानव बलात् श्रम निषेध ।
- अनु. 24 – 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नियोजन का प्रतिषेध ।

बाल विवाह

- बालक व बालिकाओं के वयस्क होने से पूर्व ही शादी कर देना बाल–विवाह कहलाता है।
- प्रतिवर्ष राजस्थान में अक्षय तृतीया/पीपल पूर्णिमा पर बहुत अधिक बाल विवाह होते हैं।
- बाल विवाह रोकने के लिए अजमेर निवासी हरविलास शारदा ने 1929 में कानून बनाया जिसे शारदा एक्ट के नाम से 1 अप्रैल, 1930 में पूरे भारत में लागू किया गया। जिसमें लडके की उम्र 18 वर्ष व लडकी की उम्र 14 वर्ष रखी गयी।
- 1978 में इसमें संशोधन द्वारा बालिकाओं की विवाह की उम्र 18 वर्ष व लडकों की 21 वर्ष कर दी गयी है।

बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006

- इसे शारदा एक्ट के स्थान पर लागू किया गया।
- इस अधिनियम में दोषी सभी व्यक्तियों को 2 साल का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये का जुर्माना।
- बाल विवाह को वयस्क होने के 2 साल के अन्दर व्यर्थ घोषित कर सकता है।
- वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के प्रयासों से 1885 में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रतापसिंह ने रोक लगाई।
- 1903 में अलवर रियासत ने सर्वप्रथम बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया।
- Age of Consent Act 1891, 19 मार्च, 1891 को लागू हुआ जिसमें लडकी के विवाह की आयु 12 वर्ष रखी गयी। जिसका बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया।
- 2021 में बाल विवाह अधिनियम में संशोधन कर लडकी के विवाह की उम्र 21/22 वर्ष करने व लडके की उम्र 24 वर्ष करने का प्रावधान है।
- घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में लागू किया गया।
- दहेज प्रथा से संबंधित अनु. 340 बी दिया गया है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी, 1992 को किया गया। जैसे–जैसे समाज में शिक्षा का प्रसार होता जाएगा, वैसे–वैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ घटती जायेगी।

दुर्व्यसन (नशाखोरी, धूम्रपान)

तम्बाकू

- यह पादप सोलेनेसी प्रजाति का है जिससे हानिकारक एल्केलॉइड निकोटीन प्राप्त होती है।
- तम्बाकू से कैंसर होता है।
- CTRI (केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान आंध्रप्रदेश में स्थित है।)

धतूरा

- इसका वैज्ञानिक नाम – डटूरा स्ट्रोमोनियम है।

सिगरेट

- इसके धुएँ में पॉलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है जो केन्सर रोग उत्पन्न करता है।
- तम्बाकू निषेध कानून 1975 ।
- धूम्रपान निषेध अधिनियम 2 अक्टूबर, 2008 को लागू किया गया।
- 18 जुलाई, 2012 को राजस्थान में निकोटीन एवं तम्बाकू मिश्रित गुटखें के उत्पादन, भण्डारण, वितरण व विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया।
- 2007 में झुंझुनूँ देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर बना।

अफीम

- इसकी प्रजाति पेपेवरेसी है। इसे पोपी भी कहते है।
- इसके अधपके कच्चे फल को कैप्सूल व डोडा कहते है। डोडा से निकलने वाले दूध को लैटेक्स कहते है जो सूखने पर काला हो जाता है। इस कारण अफीम को काला सोना कहा जाता है।
- 5 अप्रैल, 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी की गई।

वस्त्र व आवास

वस्त्र

वस्त्र हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। अपने शरीर की सुरक्षा एवं व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए हम वस्त्र धारण करते हैं।

- मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आवास तीन प्रमुख हैं।
- जगत का हर व्यक्ति, अपने देश काल, परिस्थिति एवं ऋतुओं के अनुसार वस्त्र धारण करते हैं।
- विश्व में लोगों के पहनावे की भिन्न–भिन्न प्रवृत्ति देखने को मिलती हैं। पुरुष लोग धोती, कुर्ता, पायजामा, कमीज, पेंट, शर्ट, सिर पर साफा व धोती प्रकार में लूँगी भी पहनने के काम में लेते हैं।
- स्त्रियाँ साड़ी, सलवार, लूगड़ा, लहंगा, पेटीकोट, घाघरे, आंगी व जवान युवतियाँ कुर्ता–पायजामा, जीन्स टॉप आदि पहनती हैं।
- विभिन्न ऋतुओं में शरीर की आवश्यकता के अलग–अलग होने के कारण भिन्न–भिन्न ऋतुओं में भिन्न प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। जो निम्न हैं –

(i) सर्दियो में पहने जाने वाले वस्त्र

- सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए गर्म व ऊनी भारी कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा रोधी होती है जो बाह्य ठण्ड से हमें बचाती है।
- सर्दियो में गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते है क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा को अधिक अवशोषित कर हमें सर्दी से बचाने मे अहम योगदान देते हैं।
- ऊनी वस्त्रों के साथ रेशमी वस्त्र भी ऊष्मा रोधी होते हैं, जो हमें उष्णता प्रदान करते हैं अतः हमें सर्दियों के समय ऊनी व रेशमी वस्त्र धारण करने चाहिए।

सर्दियो में प्रमुख वस्त्र – स्वेटर, शॉल, टोपी, कोटी, मफलर।

(ii) गर्मियों मे पहने जाने वाले वस्त्र

- गर्मियों में सूती वस्त्र पहने जाते हैं। इस ऋतु में शरीर से पसीना अधिक निकलता है। सूती वस्त्रों द्वारा पसीने को सोख लिया जाता है जिससे शरीर को ठण्डक पहुँचती है। अतः गर्मी में सूती वस्त्र पहनना अधिक सुखदायी होता है अतः हमें गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए।
- गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं जिससे गर्मी कम लगती है। अतः गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र आराम दायक लगते हैं।

भारत के विभिन्न राज्यों में पहने जाने वाले वस्त्र एक नजर में

हिमाचल प्रदेश के वस्त्र

सुथान/सुधान – पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला सूती पायजामा
तेपांग – पुरुषों की टोपी
लौंचारी – महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र
किरा – महिलाओं द्वारा कमर पर बाँधे जाने वाला वस्त्र
शहिदे – महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र
शानो, लिंगजिमा – टोपियों के प्रकार
लिंगयच, पट्टु – शॉल के प्रकार
रिगोया – पुरुषों का लम्बा ऊनी कोट
छुबा – पुरुषों का अचकन के समान ऊनी कोट
होजूक – महिलाओं का कुर्ता
गछांग – पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र

पंजाब के वस्त्र
शरारा – पंजाब में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र जिसे लांचा भी कहा जाता है।
फुलकारी – शॉल का प्रकार
टाम्बा/तहमत – पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली धोती

गुजरात के वस्त्र
पुरुषों के वस्त्र – अंगरखू/केडिया, फरहन, फेंटो, कफानी, चोरनोस
महिलाओं के वस्त्र – आथा/ कांजरी, चानियो, पोल्कू

लक्षद्वीप के वस्त्र
काची, थाटम – महिलाओं के वस्त्र

आसाम के वस्त्र
महिलाओं के वस्त्र – चादर, मेखला, मुगा, रिजाम्फाई, रिहा, फेफेक छुरा, चेखमचूस।
पुरुषों के वस्त्र – रिनसासो, फेटोंग, रिका, मिबु

अरूणाचल प्रदेश के वस्त्र
महिलाओं के वस्त्र – जैनसेम, किरशाह (सिर का वस्त्र), मुशाइम्स
पुरुषों का वस्त्र – मुकाक (कमर का वस्त्र)

जम्मू कश्मीर के वस्त्र
महिलाओं के वस्त्र – बुंरगा, तंरगा (सिर का वस्त्र), कुन्टोप्स
पुरुषों के वस्त्र – पठानी सूट, गोचा (भेड़ की खाल का बना वस्त्र)

मिजोरम के वस्त्र
महिलाओं के वस्त्र – डकमान्डा (कमर का वस्त्र), किरशाह (सिर का वस्त्र), पुआन चेई, ऐकिंग, टेपमोह

सिक्किम के वस्त्र
महिलाओं के वस्त्र – डुमड़यामा (साड़ी की तरह वस्त्र), पाचाउरी होजू, कुशेन, टारो पागडोन
पुरुषों का वस्त्र – थोकरू – डुम

घर पर वस्त्रो का रख रखाव
1. वस्त्रों को साफ सुथरा रखना
2. वस्त्रों को प्रेस करना
3. वस्त्रों की सुरक्षा

वस्त्रों की धुलाई
वस्त्रों की धुलाई – ड्राईक्लीन
चाय का धब्बा – नींबू या ग्लिसरीन
नीली स्याही – नमक और नींबू के रस से

- वस्त्रों की सफाई के लिए साबुन, डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है।
- वस्त्रों को ज्यादा मैले नहीं रखने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हम बीमारी के शिकार हो सकते है।

- कपड़े की ड्राईक्लीनिंग में पानी के स्थान पर पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है।
- वस्त्रों के बटन सही से लगे हों व वस्त्रों के कहीं से भी फट जाने पर सिलाई कर लें ताकि वह और ना फटे।
- रेशमी वस्त्रों को पानी में भिगोकर ना रखें।

वस्त्र धुलाई प्रकिया
- सर्फ के पानी मे भिगोना
- मसलना
- साफ पानी से निकालना
- सफेद कपड़ो में नील देना
- सुखाना

हथकरघा और पावरलूम

वस्त्र बनाने की पुरानी परम्परा रही है, जिसको बनाने के लिए विभिन्न सामग्री व तकनीकियों का प्रयोग किया जाता रहा है।

बाना – क्षैतिज दिशा में लगा धागा

ताना – लम्बवत् दिशा में लगा धागा

- सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए सर्वप्रथम 1940 में कदम उठाया।
  उद्देश्य – कारीगरों को स्थायीत्व देना
  विदेशी मुद्रा कमाने हेतु
- 1980, 1981, 1985 में कपड़ा नीति बनाई जिसमें हस्तकरघा क्षेत्र को प्रमुख बनाया।
- 2 अक्टूबर, 2005 – महात्मा गाँधी बुनकर योजना शुरू
  3 नवम्बर, 2005 – बुनकरों हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू
  28 जून, 2006 – ''हैंडलूम मार्क'' की स्थापना।
- पावरलूम देश के कुल वस्त्र उत्पादन में 62% योगदान देता है।
- हमारे देश में लगभग 21.58 लाख पावरलूम है।
- ''टेक्नोलॉजी समुन्नयन फंड स्कीम'' Tues के तहत पावरलूम को आधुनिक बनाया जा रहा है।
- देश के प्रमुख पावरलूम समूह–
  सेलम, मदुरई, मोलापुर, भिवाड़ी, इरोड़, इचल करंजी, मालेगाँव, बुरहानपुर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, पानीपत, लुधियाना।
- बुनकरों को दीर्धावधि ऋण प्रदान करने के लिए 1983 में नाबार्ड की स्थापना हुई।

आवास

- मानव दैनिक कार्य की समाप्ति पर रात्रि के समय सुरक्षित आवास की आवश्यकता के कारण आवास आवश्यक है।
- संसार के अधिकांश लोग प्राचीन काल में अब तक किसी–किसी समूह में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने रहने के लिए घर बनाकर अधिवास के लिए हमेशा प्रयत्न किया है।

आवास के प्रकार
- स्थलीय आवास
- जलीय आवास

स्थलीय आवास

स्थल पर निवास करने वाले सभी जीवों का आवास स्थलीय आवास कहलाता है।
इसमें निम्न आवास शामिल हैं –
वनीय आवास, मरुस्थलीय आवास, पहाड़ी आवास, ध्रुवीय आवास घास भूमि में आवास।

- **वनीय आवास –** इस आवास में पेड़–पौधें दोनों पाये जाते हैं। ये जंगली जानवरों का आवास है।
- **मरुस्थलीय आवास** – यहाँ काँटेदार व मोटी माँसल युक्त पत्ती वाले पेड़–पौधें मिलते हैं। यहाँ ऊँट, कंगारू, चूहे आदि पाये जाते है।
- **घास भूमि आवास –** यहाँ लम्बी व मोटी घास पायी जाती है। यहाँ जेबरा, गजेला, हाथी, जिराफ, आदि मिलते हैं।
- **पहाड़ी आवास –** यहाँ भालू, याक, लोमड़ी मिलते हैं।
- **ध्रुवीय आवास –** यहाँ वर्ष भर बर्फ जमीं रहती है। यहाँ पाये जाने वाले जन्तुओं का शरीर फर युक्त होता है जिससे जन्तुओं की सर्दी में सुरक्षा होती है।
  यहाँ ध्रुवीय भालू, लोमड़ी, रेनडियर, स्नोगूज, खरगोश, भेड़, बाल्ड, ईगल देखने को मिलते हैं।
- **जलीय आवास –** जल मे निवास करने वाले जन्तुओं का निवास जलीय आवास कहलाता है।
  जलीय आवास के निम्न प्रकार है –
  1. **ताजा जलीय आवास –** नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने आदि।
  2. **तटवर्ती आवास –** यहाँ समुद्री जल व नदियों के ताजे जल का मिश्रण मिलता है।
  3. **समुद्री आवास –** इसमें व्हेल, मछली, कछुआ, समुद्री साँप आदि मिलते हैं।

जीवों मे विशिष्ट आवास

घोंसला – चिड़िया, कबुतर, कठफोड़ा, बुलबुल
बिल – सांप, चूहा, खरगोश, गोयरा, दीमक, मकोड़े
गुफा – शेर, भालू, लोमड़ी
पेड़ – बंदर, कौआ, तोता, कमेड़ी, कबुतर
जल – मछली, मगरमच्छ
छाता – मधुमक्खी, ततैया (टांटिया)
घर – चूहे, पालतू पशु (गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बाड़ा)

केनल	कुत्ता
शूकर शाला	सूअर
अस्तबल	घोड़ा
जल	मकड़ी
दड़बा	मुर्गी
पेड़ की कोटर	कंगारू

मानव आवास

आवास का तात्पर्य – ये मानव के रहने के लिए ईंट, पत्थर, कंकड़, संगमरमर, लकड़ी, गारे, गोबर का बना होता है। इसमें झोपड़ी से लेकर महल तक हो सकता है।

आवास की आवश्यकता

1. विश्राम के लिए
2. वस्तुओं को रखने व सम्पत्ति सुरक्षा हेतु
3. जंगली पशुओं, जीव जन्तुओं से सुरक्षा हेतु
4. गतिविधि संचालन हेतु

प्रमुख आवास

इग्लू – ये आर्कटिक क्षेत्र मे टुण्ड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्कीमों जनजाति का निवास है।

- ये लोग हड्डी, खाल, बर्फ से मकान बनाते हैं।
- ये रात्रि में रोशनी के लिए सील मछली की चर्बी का प्रयोग करते हैं।

ट्यूपिक – एस्कीमों जनजाति के ग्रीष्म कालीन आवास।
कू – भील जनजाति के आवास स्थल को कू कहते हैं।
टपरा – राजस्थान के आदिवासियों के सामान्य घर को टपरा/टापरा कहते हैं।
तिपी – अमेरिका के रॉकी पर्वत क्षेत्र में रेड इण्डियन लोगों द्वारा बिसन बैल के चमड़े व बाँसो से बने घर।
भाखर या ढाँचा – गरासिया जनजाति के घर।
युर्त – खिरगिज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास। ये चमड़े के बने होते हैं।
चिकीज – अमेरिका में सेमिनोल इण्डियन द्वारा बनाये गये घर।
होगान – अमेरिका की आदिवासी जाति के घर।
ऑल – यूरोप के कबीलाई जनजातियों द्वारा लकड़ी व चमड़े द्वारा बनाया गया घर।
बंगाल ओराक/कालोम ओराक – संबाल जनजाति के आवास।
झोंपा – शुष्क व पश्चिम राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बने घर।
खाइमस – बद्दू जाती के लोगों के तम्बू।
पड़वा – राजस्थान के मरुस्थल में बने घर।

भवन निर्माण सामग्री

पत्थर	सीमेंट	पनी	गोबर
ईंट	सरिया	लकड़ी	सेनेटरी सामान
भाट्टा	बजरी	लोहा	संगमरमर
बर्फ	बाँस	प्लास्टिक	एस्बेस्टस

आवास व निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता

1. पानी की नालियाँ साफ सुथरी ढकी हो।
2. घरों की व आस–पास की प्रतिदिन सफाई हो।
3. कमरों से प्रदुषित हवा निकालने के लिए रोशनदान बनाये जाएँ।
4. समस्त कुड़े–करकट को कचरा पात्र में डालें।
5. रसोईघर मे धुएँ की निकासी के लिए चिमनी की व्यवस्था की जानी चाहिए।
6. घरों में फिनाइल दवाइयों का प्रयोग कर सफाई की जाए।
7. कीटनाशकों, फिनाइल, बीएचसी पाउडर आदि का छिड़काव हो।
8. पानी की टंकियों की नियमित सफाई हो।
9. मृत जानवरों को जलस्त्रोत या बस्तियों से दूर गढ्ढे में दबा देना चाहिए।
10. बस्ती के चारों ओर वृक्ष लगाने चाहिए।
11. भारत सरकार ने 15 अगस्त, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम चालू किया जिसके बाद स्वच्छता में काफी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए।